तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज स्पेशल अपील / एल0आर0 / 916 / 2005 / नागौर रामाराम बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
4.11.2019	**खण्ड–पीठ** **श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य** **श्री पंकज नरुका, सदस्य** **उपस्थिति :–** श्री सुनील पोकरणा, अधिवक्ता अपीलार्थी श्रीमती पूनम माथुर, अति0 राज0 अधिवक्ता अप्रार्थी **निर्णय** प्रार्थी द्वारा हस्तगत अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 10 के तहत माननीय राजस्व मण्डल की एकलपीठ द्वारा रेफरेन्स प्रकरण संख्या 266/2001 शीर्षक सरकार बना अर्जुना राम में पारित निर्णय दिनांक 07–02–2005 के विरुद्ध प्रस्तुत की है। प्रकरण में उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस दिनांक 15–10–2019 को सुनी गई, जिसके आदेशार्थ पत्रावली प्रस्तुत की गई। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने स्पेशल अपील में अंकित तथ्यों को बहस में दोहराते हुये माननीय राजस्व मण्डल की एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07–02–2005 में विधिक प्रश्न एवं विधिक प्रभाव रखने वाला बिन्दु निहित है, जिसका निस्तारण खण्डपीठ में किया जाना आवश्यक है। योग्य अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि अपीलार्थी के पिता अर्जुनराम ने दिनांक 15–10–2007 को खातेदार मूलाराम से 100 रुपये से कम की कीमत की जमीन क्रय की और हस्तान्तरण के आधारपर नामांतरकरण संख्या 30 के द्वारा अनुर्जन राम के नाम भूमि को दर्ज किया गया। बैरी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर धारा 82 के तहत रेफरेन्स किया गया है जो कि अनुचित है। योग्य अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि प्रश्नगत प्रकरण मे। नामांतरकरण संख्या 30 जो स्वीकृत किया गया है वह 100 रुपये से कम मूल्य की भूमि का हस्तान्तरण होने पर किया गया है जो विधिसम्मत है। प्रस्तुत प्रकरण में राज्य पक्ष का कोई हित निहित नहीं है। अतः धारा 82 के तहत जिला कलक्टर को रैफरेन्स करने का अधिकार नहीं है। नामांतरकरण को एब–इनीशियो–वौइड नहीं माना जा सकता है। क्षेत्राधिकार के बिन्दु को किसी भी स्तर पर उठाया जा सकता है। असाधारण देरी से रेफरेन्स की कार्यवाही को उचित नहीं माना जा सकता है और 25 साल की लम्बी अवधि के बाद आवंटन को	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज स्पेशल अपील / एल0आर0 / 916 / 2005 / नागौर रामाराम बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निरस्त नहीं किया जा सकता है। यदि किसी प्रकार के नामांतरकरण से कोई व्यक्ति व्यथित है तो वह इसके विरुद्ध अपील में जा सकता है किन्तु रेफरेन्स संधारण योग्य नहीं है। अन्त में योग्य अधिवक्ता ने कथन किया कि माननीय एकलपीठ द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को निरस्त कर स्पेशल अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करने का आवेदन स्वीकार करने का निवेदन किया। योग्य अधिवक्ता ने अपने समर्थन में न्याय दृष्टान्त 2001(1) आर0बी0जे0 पेज 584, 2018 आर0बी0जे0 पेज 88, 2009 आर0बी0जे0 पेज 201, 1996 आर0बी0जे0 पेज 412, 2000 आर0बी0जे0 पेज 249 2016 आर0बी0जे0 पेज 491, 1993 आर0आर0डी0 पेज 378 आदि का उद्धरण प्रस्तुत किया। इसके विपरीत योग्य राजकीय अति0 अधिवक्ता का कथन है कि धारा 10 के प्रावधान अत्यन्त सीमित हैं। जिला कलक्टर, नागौर ने बी0पी0 बेरी आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसरण में प्रकरण में परीक्षण कराया है और अवैधानिक रुप से भूमिहीन नहीं होते हुए तथ्यों को छिपाते हुए आवंटन कराया जाना पाया गया है। इस प्रकार की स्थिति में यह आवंटन प्रारम्भतः ही छलकपट से कराया जाने से क्रय के आधार पर स्वीकृत नामांतरकरण का नियमोचित नहीं कहा जा सकता है और इस प्रकार की स्थिति में अपर कलक्टर, नागौर ने दिनांक 10-7-2000 को मण्डल को अनुशंषा की है और माननीय न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है। प्रकरण में स्पेशल अपील के माध्यम से पुनः परीक्षण आवश्यक नहीं है। अतः स्पेशल अपील को खारिज किया जाये। उभय पक्षीय बहस तर्को पर मनन करने एवं भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 10 के प्रावधानों को देखने पर पाया जाता है कि एकल पीठ के निर्णय से व्यथित कोई पक्षकार खण्ड पीठ में अपील प्रस्तुत कर सकता है, यदि निर्णय पारित करने वाली सम्बन्धित एकल पीठ, यह उचित पाती है कि प्रकरण खण्ड पीठ के सुनवाई के लिये उपयुक्त है। खण्ड पीठ द्वारा सुनवाई करने से पूर्व यह आवश्यक है कि सम्बन्धित एकलपीठ के सदस्य की इसे अनुमति प्राप्त हो। राजस्व कोर्ट मैनुअल भाग 1 के नियम 9 में खण्ड पीठ द्वारा सुने जाने योग्य प्रकरणों बाबत् प्रावधान हैं, जिनके अनुसार यदि एकल पीठ द्वारा निर्णित प्रकरण में कोई विधिक प्रश्न अथवा विधिक प्रभाव रखने वाली रीति-रिवाज का प्रश्न है तो ऐसे प्रकरण की खण्डपीठ में अपील की जा सकती है। अतः विशेष अपील की अनुमति देने से पूर्व यह देखा जाना आवश्यक है कि ***क्या प्रकरण में कोई विधिक प्रश्न अथवा विधिक प्रभाव रखने वाली रीति-रिवाज का प्रश्न है।*** प्रार्थी द्वारा स्पेशल अपील में जो तथ्य अंकित किए हैं उनके	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज स्पेशल अपील / एल0आर0 / 916 / 2005 / नागौर रामाराम बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अनुसार अपीलार्थी के पिता अर्जुनराम ने दिनांक 15–10–2007 को खातेदार मूलाराम से 100 रुपये से कम की कीमत की जमीन क्रय की और हस्तान्तरण के आधारपर नामांतरकरण संख्या 30 के द्वारा अनुर्जन राम के नाम भूमि को दर्ज किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में परीक्षण पर पाया जाता है कि बी0पी0 बेरी आयोग की अध्यक्षता में गठित आयोग की रिपोर्ट में दिए गए निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में अति0 जिला कलक्टर, नागौर द्वारा प्रार्थी के पक्ष में स्वीकृत किए गए नामांतरकरण संख्या 30 को निरस्त कराने हेतु की गई अपनी अनुशंषा दिनांक 10–7–2000 में स्पष्ट रुप से अंकित किया है कि अप्रार्थी के पिता अनुर्जन राम ने तत्कालीन प्रधान पंचायत समिति परबतसर के प्रधान पद का दुरुपयोग कर ग्राम भवानी के खातेदार मूलाराम से 46 बीघा 17 बिस्वा भूमि 100 रुपये से कम कीमत पर अपंजीकृत हस्तान्तरण के आधार पर नामांतरकरण संख्या 30 दिनांक 15–10–1967 को बिना पंजीयन शुल्क अदा दिये अपने नाम हस्तान्तरण कराया है जो ट्रान्सफर आफ प्रापर्टी एक्ट के प्रावधानों के विपरीत है। माननीय एकलपीठ के निर्णय के अध्ययन से स्पष्ट है कि माननीय एकलपीठ ने अपने निर्णय में स्पष्ट रुप से मत प्रतिपादित किया है कि “प्रकरण में नियमों के खिलाफ नामांतरकरण खोला गया है जो दर्शाता है कि ये कार्यवाही नियमों के खिलाफ है जो कि एब–इनीशियो–वौइड है।” इस प्रकार स्पष्ट है कि अपीलार्थी के पिता जो कि प्रधान थे, के द्वारा अपने प्रभाव का गलत प्रकार से अवैध रुप से उपयोग करते हुये अपने पुत्र के पक्ष में नामांतरकरण तस्दीक कराया है और बेरी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में धारा 82 के तहत कार्यवाही अमल में लाई गई है। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी पक्ष की ओर से जो न्याय दृष्टान्त 2001(1) आर0बी0जे0 पेज 584, 2018 आर0बी0जे0 पेज 88, 2009 आर0बी0जे0 पेज 201, 1996 आर0बी0जे0 पेज 412, 2000 आर0बी0जे0 पेज 249 2016 आर0बी0जे0 पेज 491, 1993 आर0आर0डी0 पेज 378 प्रस्तुत किए हैं, वे प्रकरण में पूर्णतया चस्पा नहीं होते हैं क्योंकि पूर्णतया विधिक प्रक्रिया व प्रावधानों के विपरीत नामांतरकरण स्वीकृत किया गया है। हस्तगत स्पेशल अपील में ऐसा कोई प्रश्न निहित नहीं है जिसके लिए प्रकरण को स्पेशल अपील के माध्यम से परीक्षण योग्य पाया जा कर एकल पीठ के निर्णय में कोई हस्तक्षेप किया जावे। माननीय राजस्व मण्डल की खण्ड–पीठ ने प्रकरण उन्वानी आशिया बनाम कमिशनर, म्यूनिसपल काउंसिल, हनुमानगढ जो आर.बी.जे. (9) 2002 पेज 535 पर प्रकाशित हुआ है, में भी स्पष्ट तय किया है कि धारा 10 के तहत रिव्यू का स्कोप अत्यन्त सीमित है। विशेष अपील को एक अधिकार के रुप में प्रयोग में नहीं लिया जा सकता है। माननीय एकलपीठ के निर्णय द्वारा प्रकरण में निहित समस्त	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज स्पेशल अपील / एल0आर0 / 916 / 2005 / नागौर रामाराम बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	बिन्दुओं को स्पष्ट रुप से तय किया गया है। फलतः स्पेशल अपील सारहीन, आधारहीन व औचित्य से बाहर होने से **खारिज** की जाती है। **(पंकज नरुका)** **सदस्य** **(मनोज कुमार नाग)** **सदस्य**	